बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

गढ़ीमाई मेले में पशु बलि निषेध

“ इक्कीसवीं सदी में आकर गढीमाई में
हो रहे पशु बलि जैसी प्रथा का
कोई लॉजिक (तर्क) नहीं है।
मनोकामना पूरी होने पर भक्तजन सामाजिक
सेवा कर पैसों का सदुपयोग कर सकते हैं।”

– मैथिली ठाकुर

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार द्वारा जनहित में प्रचारित